

फते अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय

सरकार बनाम पप्पुराज बनाम सरकार

किस्म मुकदमा फावा मु० नं० 18/12

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नं. 3

क्रिया जाता है। एवं विवाहित श्रुति खसरा नं० 22, 56, 72/23 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 6.7030 हैक्टर वाले रामा चक सरखण्डला तहसील सिकराय जिला फौसा में फर्ज कजौड पुत्र धन्नालाल के खतान पर दूरस्त कर पप्पुराज पुत्र धन्नालाल राजस्व रिकॉर्ड में इन्फ्राज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते हैं। तहसीलदार सिकराय को तहरीर जारी हो। पत्रावली फेंसल शुमार हीकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जानर खुले-पाथलथ में सुनाया गया

20/12/12
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-फौसा